


आदेश- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(प्रदीप कुमार) 20.3.15

सरकार के सचिव


जापांक 224884 /

पटना, दिनांक 23/3/15

सं0सं0-ग्रा0वि0-6(SGSY/NRLM)-44/2014

प्रतिलिपि ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु सी0डी0 सहित प्रेषित ।

कृपया प्रकाशित राजपत्र की (50) पचास प्रतियाँ ग्रामीण विकास विभाग को उपलब्ध कराई जाय ।



सरकार के सचिव
20.3.15

जापांक 224884 /

पटना, दिनांक 23/3/15

सं0सं0-ग्रा0वि0-6(SGSY/NRLM)-44/2014

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना / कोषांगार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के सचिव
20.3.15

जापांक 224884 /

पटना, दिनांक 23/3/15

सं0सं0-ग्रा0वि0-6(SGSY/NRLM)-44/2014

प्रतिलिपि मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष / आयुक्त स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / राज्य मिशन निदेशक, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, बिहार, पटना / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / विभागीय प्रशाखा- 06 एवं 10 / आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के सचिव
20.3.15

जापांक 224884 /

पटना, दिनांक 23/03/15

सं0सं0-ग्रा0वि0-6(SGSY/NRLM)-44/2014

प्रतिलिपि विशेष सचिव एवं मिशन निदेशक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 6वाँ तल्ला, होटल सम्राट, नई दिल्ली को पत्र सं0- L-11049/07/2014/LH/part दिनांक- 19.08.14 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के सचिव
20.3.15